

- (v) a member elected by such donors from amongst themselves as have donated at least twenty five thousand rupees to the College,
- (vi) One member to be nominated by the <sup>1</sup>[Vice-Chancellor], who is a member of the Parliament or the State Legislature and mainly resides in the district of the area in which the College is situated; and
- (vii) One member co-opted by the Governing body from amongst such educationists or persons residing in the district where the College is situated as are reputed for their academic interest.

(2) The term of office of the members of the Governing body, their powers and functions shall be such as are prescribed by the Statutes.

(3) Any act or proceedings of the Governing body of affiliated Colleges shall not be invalid merely because of any vacancy or vacancies in its membership.

(4) The <sup>1</sup>[Vice-Chancellor shall constitute an adhoc committee for the management of the College so long as Governing body is not constituted in accordance with the provisions contained in sub-section (1).

(5) The Governing body/ Managing Committee for the management and administration of a College owned and maintained by the Government, or established and administered by a minority community, on the ground of religion or language and declared, from time to time, as such by the State Government according to yard stick laid down by it, or of any affiliated technical or medical college, shall be constituted in accordance with the provisions prescribed in the Statues.

### ENROLMENT AND DEGREES

<sup>2</sup>[61. Enrolment of students in the University :—(1) No student shall be enrolled as a student in the University unless he has passed the Intermediate or equivalent examination held by a body incorporated by any law for the time being in force and recognised by the University.

(2) The State Government may determine the maximum numbers of seats for enrolment of students in the Faculties and Departments of the University and the colleges under its jurisdiction and the directions issued thereto shall be binding on the University.

<sup>3</sup>[(3) The quota for reservation of seats in each faculty, department and college under the Bihar State University for admission of students to different courses, shall be determined by the State Government as follows which shall be binding on the University:—

(a) Scheduled Castes	16 percent of the sanctioned seats.
(b) Scheduled Tribes	01 percent of the sanctioned seats.
(c) Extremely Backward Classes	18 percent of the sanctioned seats.
(d) Backward Classes	12 percent of the sanctioned seats.
(e) Women of Backward Classes	03 percent of the sanctioned seats.
Total	50 percent

Reservation of seats for admission of students shall not exceed more than 50 per cent of the sanctioned seats. However, a reserved category student, who is selected on the basis of his/her merit shall be counted against 50 percent seats of open merit category and not against seats of reserved category.

1. Subs. by Act 3 of 1990.
2. Subs. by Act 17 of 1993.
3. Subs. by Act 12 of 2004.



187  
11.07

जी० आर० अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय,

मुजफ्फरपुर

पत्रांक ६/२८८५/७ ३/११/२००७

प्रेषक :

प्रो० डा० विजय कुमार जायसवाल  
अध्यक्ष, छात्र कल्याण  
जी० आर० ए० बिहार विश्वविद्यालय,  
मुजफ्फरपुर ।

सेवा में,

1. विभागाध्यक्ष,  
सभी स्नातकोत्तर विभाग,  
जी० आर० ए० बिहार विश्वविद्यालय,  
मुजफ्फरपुर ।
2. प्राचार्य,  
क- सभी अंगीभूत महाविद्यालय,  
ख- सभी सम्बद्ध महाविद्यालय,  
जी० आर० ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत ।

विषय:- इंटरमीडिएट/स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में नामांकन हेतु बिहार गजट  
१ असाधारण १० सितम्बर २००३ द्वारा किये गये प्रावधानों के कार्या-  
न्वयन करने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निदेशानुसार सूचित करना है कि उप सचिव,  
मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक २/एम-१-९६/२००३  
-१३८० दिनांक २२.८.०७ के साथ संलग्न बिहार गजट १ असाधारण १० सितम्बर ०३  
को छाया प्रति प्राप्त हुई है । इस गजट में नामांकन के सम्बन्ध में प्रकाशित अधि-  
सूचनाएँ निम्न प्रकार है :-

बिहार १ शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में १ आरक्षण अधिनियम, २००३

- २.....नामांकन में आरक्षण विनियमन १- पूर्णतः या आंशतः सहायता प्राप्त किसी  
शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन निम्नांकित रीति से विनियमित किया जा सकेगा, यथा-  
क- खली गनागुन कोटि से - ५० प्रतिशत  
ख- आरक्षित कोटि से - ५० प्रतिशत
२. आरक्षित कोटि की ५० प्रतिशत रिक्तियों में आरक्षित उम्मीदवारों की विभिन्न  
कोटियों की रिक्तियों इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों अधीन निम्नांकित रूप से होंगी :

क- अनुसूचित जातियाँ	१६ प्रतिशत
ख- अनुसूचित जन जातियाँ	०१ प्रतिशत
ग- अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	१८ प्रतिशत
घ- पिछड़ा वर्ग	१२ प्रतिशत
ङ- पिछड़े वर्ग की महिलाएँ	०३ प्रतिशत
कुल -	५० प्रतिशत

६. १क सम्बन्धित शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु निर्धारित मापदंड प्राप्तता  
आदि के सम्बन्ध में निम्नतर अहर्ता वाले अभ्यर्थियों को नामांकन का प्रमुख  
स्वर देने के बाद यदि किसी आरक्षित कोटि का आरक्षण प्रतिशत पूरा नहीं हो  
तो उसे निम्नांकित रीति से विनियमित किया जायेगा ।

- ११ अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के बीच विनियमन स्थापित होगा ।
- १२ अत्यन्त पिछड़े वर्ग एवं पिछड़े वर्गों के बीच विनियमन स्थापित होगा ।

१८/३/०७

ख- उपधारा 68 के तहत 8क में अन्तर्विष्ट प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद यदि किसी त वर्ग का आरक्षण प्रतिशत पूरा नहीं हो पाता है तो उक्त रिक्तियों के उसी प्रशासी विभाग के माध्यम से उसे सम्यक रूप से आरक्षित घोषित कर दिये जाने पर उसके विरुद्ध गैर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नामांकन उक्त चक्र के लिए प्रशासी विभाग द्वारा कर दिया जायेगा ।

ग- पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए योग्य उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की दिशा में उन रिक्तियों को निम्नांकित अधिमानता क्रम में भरा जायेगा ।

- 1- अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों से ।
- 2- अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों से ।
- 3- अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों से ।
- 4- पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों से ।

उपर्युक्त अधिसूचनाएँ के आलोक में सभी वर्गों में नामांकन किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त पूर्व में आरक्षित स्थानों के संदर्भ में कार्यालय द्वारा समय-समय पर पत्र निर्गत किए गए हैं। यह भी अतिरिक्त स्थानों के अन्तर्गत प्रभावी रहेंगे ।

अतः सभी विभागाध्यक्षों एवं प्राचार्यों से अनुरोध है कि बिहार गजट में प्रकाशित अधिसूचनाएँ का कठोरतापूर्वक पालन करने की कृपा की जाय ।

विश्वात्मजान

१ भी 0 के 0 जायत्वाल  
अध्यक्ष, छात्र कल्याण . १



## अनुसूची-III

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के आलोक में 100 बिन्दुओं का मॉडल रोस्टर :-

- |                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. अनारक्षित                         | 51. अनारक्षित                        |
| 2. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग               | 52. पिछड़े वर्गों की महिला           |
| 3. अनारक्षित (महिला)                 | 53. अनारक्षित                        |
| 4. अनुसूचित जाति                     | 54. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग              |
| 5. अनारक्षित                         | 55. अनारक्षित (महिला)                |
| 6. पिछड़ा वर्ग                       | 56. अनुसूचित जाति                    |
| 7. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग          | 57. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग         |
| 8. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला)       | 58. पिछड़ा वर्ग                      |
| 9. अनारक्षित (महिला)                 | 59. अनारक्षित                        |
| 10. अनुसूचित जाति (महिला)            | 60. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला)      |
| 11. अनारक्षित                        | 61. अनारक्षित (महिला)                |
| 12. पिछड़ा वर्ग (महिला)              | 62. अनुसूचित जाति (महिला)            |
| 13. अनारक्षित                        | 63. अनारक्षित                        |
| 14. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग              | 64. पिछड़ा वर्ग (महिला)              |
| 15. अनारक्षित (महिला)                | 65. अनारक्षित                        |
| 16. अनुसूचित जाति                    | 66. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग              |
| 17. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग         | 67. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (महिला) |
| 18. पिछड़े वर्गों की महिला           | 68. अनुसूचित जाति                    |
| 19. अनुसूचित जनजाति                  | 69. अनारक्षित                        |
| 20. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग              | 70. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग              |
| 21. अनारक्षित (महिला)                | 71. अनारक्षित                        |
| 22. पिछड़ा वर्ग                      | 72. पिछड़ा वर्ग                      |
| 23. अनारक्षित                        | 73. अनारक्षित (महिला)                |
| 24. अनुसूचित जाति (महिला)            | 74. अनुसूचित जाति                    |
| 25. अनारक्षित                        | 75. अनारक्षित                        |
| 26. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला)      | 76. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला)      |
| 27. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (महिला) | 77. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग         |
| 28. अनुसूचित जाति                    | 78. अनुसूचित जाति (महिला)            |
| 29. अनारक्षित                        | 79. अनारक्षित (महिला)                |
| 30. पिछड़ा वर्ग                      | 80. पिछड़ा वर्ग                      |
| 31. अनारक्षित                        | 81. अनारक्षित                        |
| 32. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग              | 82. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग              |
| 33. अनारक्षित (महिला)                | 83. अनारक्षित                        |
| 34. अनुसूचित जाति                    | 84. पिछड़े वर्गों की महिला           |
| 35. अनारक्षित                        | 85. अनारक्षित (महिला)                |
| 36. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग              | 86. अनुसूचित जाति                    |
| 37. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग         | 87. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग         |
| 38. पिछड़ा वर्ग (महिला)              | 88. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग              |
| 39. अनारक्षित (महिला)                | 89. अनारक्षित                        |
| 40. अनुसूचित जाति (महिला)            | 90. पिछड़ा वर्ग (महिला)              |
| 41. अनारक्षित                        | 91. अनारक्षित (महिला)                |
| 42. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला)      | 92. अनुसूचित जाति                    |
| 43. अनारक्षित                        | 93. अनारक्षित                        |
| 44. अनारक्षित                        | 94. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला)      |
| 45. अनारक्षित (महिला)                | 95. अनारक्षित                        |
| 46. पिछड़ा वर्ग                      | 96. पिछड़ा वर्ग                      |
| 47. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग         | 97. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (महिला) |
| 48. अनुसूचित जाति                    | 98. अनुसूचित जाति (महिला)            |
| 49. अनारक्षित (महिला)                | 99. अनारक्षित                        |
| 50. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग              | 100. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला)     |





# Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University

Muzaffarpur (Bihar)-842001

(Website:-www.brabu.net)

(Phone, Fax no:- 0621-2243071)

(E-mail:- registrar.brabu@gmail.com)

RefNo.....P/23/52-B

Dated:....20/10/2023

## Sri Radha Krishna Goenka College, Sitamarhi Bihar-843302

### Metric ID: 2.1.2

**2.1.2 Percentage of seats filled against reserved categories (SC, ST, OBC etc.) as per applicable reservation policy for the first year admission during the last five years**

**2.1.2.1. Number of actual students admitted from the reserved categories year wise during last five years (Exclusive of supernumerary seats)**

2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19
1724	1763	1763	1670	1676

**2.1.2.2. Number of seats earmarked for reserved category as per GOI/ State Govt rule year- wise during the last five years**

2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19
1724	1763	1763	1670	1710

Principal

**Principal**

S.R.K. Goenka College  
Sitamarhi

Dean, Student Welfare



# Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University

Muzaffarpur (Bihar)-842001

(Website:-www.brabu.net)

(Phone, Fax no:- 0621-2243071)

(E-mail:- registrar.brabu@gmail.com)

Ref No. P/23/52-A

Dated: 20/10/2023

## Enrolment Percentage Data for Sri Radha Krishna Goenka College, Sitamarhi Bihar-843302

### Metric ID 2.1.1


#### 2. Enrolment Percentage

##### 2.1.1.1. Number of seats filled year-wise during last five years (Only first year admissions to be considered)

2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19
2332	2797	2905	2672	2376

##### 2.1.1.2. Number of sanctioned seats year-wise during last five years

2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19
3449	3527	3527	3341	3420

  
Principal  
**Principal**  
S.R.K. Goenka College  
Sitamarhi

  
Dean, Student Welfare



# Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University

Muzaffarpur (Bihar)-842001

(Website:-www.brabu.net)

(Phone, Fax no:- 0621-2243071)

(E-mail:- registrar.brabu@gmail.com)

Ref No. P/23/52-C

Dated: 20/10/2023

**Metric ID: 2.1.1 Sri Radha Krishna Goenka College, Sitamarhi Bihar-843302**

2.1.1 Enrolment Percentage 75.78%

2.1.1.2 Percentage of seats filled against reserved categories during the last five years

Year - 1 (2022-23)														
Programme name	Programme Code	Number of seats sanctioned	Number of Students admitted	Number of seats earmarked for reserved category as per GOI or State Government rule					Number of students admitted from the reserved category					Others
				SC	ST	OBC	Gen	Others	SC	ST	OBC	Gen	Others	
UG	BA/BSc/Bcom/BCA/BBA/BIOTECH	2937	1977	470	29	969	1469	0	254	26	1232	465	0	
PG	MA/MSc	512	355	82	5	169	256	0	55	1	209	90	0	
Year - 2 (2021-22)														
				SC	ST	OBC	Gen	Others	SC	ST	OBC	Gen	Others	
UG	BA/BSc/Bcom/BCA/BBA/BIOTECH	3015	2403	482	30	995	1508	0	331	61	1458	553	0	
PG	MA/MSc	512	394	82	5	169	256	0	60	11	224	99	0	
Year - 3 (2020-21)														
				SC	ST	OBC	Gen	Others	SC	ST	OBC	Gen	Others	
UG	BA/BSc/Bcom/BCA/BBA/BIOTECH	3015	2615	482	30	995	1508	0	474	54	1538	549	0	
PG	MA/MSc	512	290	82	5	169	256	0	48	5	158	79	0	
Year - 4 (2019-20)														
				SC	ST	OBC	Gen	Others	SC	ST	OBC	Gen	Others	
UG	BA/BSc/Bcom/BCA/BBA/BIOTECH	2989	2401	478	30	986	1495	0	289	64	1413	635	0	
PG	MA/MSc	352	271	56	4	116	176	0	46	4	154	67	0	
Year - 5 (2018-19)														
				SC	ST	OBC	Gen	Others	SC	ST	OBC	Gen	Others	
UG	BA/BSc/Bcom/BCA/BBA/BIOTECH	2900	2101	464	29	957	1450	0	352	29	1112	608	0	
PG	MA/MSc	520	275	83	5	172	260	0	42	5	136	92	0	

Principal

Principal

S.R.K. Goenka College  
Sitamarhi

Dean, Student Welfare